सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः– 02.06.2011

प्रार्थना पत्र सं.– 2011/42

1. दलीप कुमार पुत्रगण रामगोपाल जाति महाजन निवासी दुधवाखारा ।
2. दीपक कुमार तह0 व जिला चूरू

................प्रार्थीगण

बनाम

1. कुलदीप जोशी पुत्र द्वारकाप्रसाद जोशी जाति ब्राहम्ण नि0 दुधवाखारा तह0 व जिला चूरू
2. राजकुमार पिरान स्व0 रामकुमार जिति महाजन नि0
3. पवन कुमार दुधवाखारा तह0 व जिला चूरू
4. योगेन्द्र कुमार
5. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा चूरू जरिये प्रबन्धक
6. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– सुरेन्द्र डूडी
अप्रार्थीगणः– राजेन्द्र राजपुरोहित,
सुरेन्द्र जाखड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश करने निवेदन किया कि

1. यह कि उपरोक्त अनवानी दावा श्रीमानजी, के न्यायालय में वादीगण प्रार्थीगण की ओर से समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पुरी पुरी आशा है।
2. यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2,3,4 एक ही परिवार व खानदान के है अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के गांव का है। जिसने वादगत कृषि भूमि के एक पूर्व सहखातेदार सजन कुमार से उसके 1/3 हिस्से की भूमि खरीद की है। अप्रार्थी सं. 5 बैंक है जिसके यहां अप्रार्थी सं.1 ने वादगत कृषि भूमि के 1/3 हिस्से को रहन रखा है तथा अप्रार्थी सं 6 राज. सरकार है जो वादगत कृषि भूमि के भूमिधारक है।
3. यह कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 113 तादादी 4 बीघा, ख0नं0 241 तादादी 19 बीघा 6 विश्वा कुल किता 2 कुल तादादी 23 बीघा 6 बिश्वा रोही मोजा सिरसली तह0 चूरू जिला चूरू में स्थित है जो अविभाजि संयुक्त [illegible] है मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वादगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण का [illegible] सा अप्रार्थी सं. 1 का व 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 का अंकित [illegible] वर्षों पूर्व बाहमी बंटवारा किया हुआ है मगर विधिवत विभाजन [illegible]
4. यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 बिना [illegible] तरी के अपने हक [illegible] ये गये बेनामा के आधार पर वादगत कृषि भूमि के अच्छी [illegible] मती हिस्से पर जबरन [illegible] ने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रयास कर रहा है वादगत कृषि भूमि के बीच से सड़क आम दुधवाखारा से दुधवाखारा रेल्वे स्टेशन निकलती है – सड़क पर स्थित भूमि कीमती है प्रतिवादी सं. 1 सड़क पर स्थित कीमती भूमि पर जबरन काबिज होने की सरे आम धमकियां दे रहा है तथा प्रार्थीगण को उसे हक हिस्से में आई भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। अप्रार्थीगण से 2,3,4 प्रार्थीगण के साथ सींव को लेकर लगान वगेरा को लेकर एवं भूमि की अच्छी घटिया किस्म को लेकर आये दिन विवाद व झगड़ा करते रहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण के लिये यह जरूरी हो गया है कि वोह ता. फैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करे कि अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं करे न हम प्रार्थीगण को बेदखल करे व न किसी अन्य से करावें।

5. यह कि प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के 1/3 हिस्सा के खातेदार काबिज काश्तकार है भूमि संयुक्त खातेदारी की है अविभाजित है, विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इस प्रकार से प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा उपर वर्णित परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन का सिद्धांत व अपूर्तिय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रा0 पत्र मय शपथपत्र अस्थाई निर्षधाज्ञा प्राप्त करने का पेश कर अर्ज है कि ता–फैसला दावा अस्थाई व्यादेश इस आश्य का जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि ख0नं0 113 तादादी 4 बीघा ख.सं. 241 तादादी 19 बीघा 6 बिश्वा रोही मोजा सिरसली तह0 चूरू में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रेकेार की कोई दवखल अन्दाजी नहीं करे, न प्रार्थीगण को उसके हक हिस्सा से बेदखल करे व न किसी अन्य से करावे। तथा ऐसा कोई भी कार्य अथवा उपकार्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण के वादगत कृषि भूमि में उनके हक हकूक पर कोई विपरित असर पड़े।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता राजेनद्र राजपुरोहित व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र जाखड़ उपस्थित हुए।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काउण्टर क्लेम मय जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 04 बीघा खसरा नम्बर 241 रकबा 19 बीघा 06 बिश्वा कुल किता 02 कुल तादादी 23 बीघा 06 बिश्वा राजस्व ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों पर अनावेदक काउन्टर क्लेमकर्तागण संख्या 01 व उसके भाई दलिप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी के पिता द्वारका प्रसाद जोशी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने की दिनांक 25.10.1955 को काबिज काश्त थे। द्वारका प्रसाद के जीवन काल में काउन्टर क्लेम कर्ता संख्या 01 व दलिप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी अपने पिता के साथ व अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी के रूप में वादग्रस्त भूमियों पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 25.10.1955 से आज दिवस तक उपरोक्त भूमियों वर्तमान में काउन्टर क्लेमकर्ता संख्या 01 व उनके भाई दलिप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी व उनके पिता द्वारका प्रसार के प्रत्यक्ष कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 04 बीघा पुख्ता खसरा नम्बर 241 रकबा 19 बीघा 06 बिश्वा कुल किता 02 कुल तादादी 23 बीघा 06 बिश्वा राजस्व ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू का एकाकी खातेदार काबिज काश्तकार है।

यह कि आवेदक व अनावेदक संख्या 02 ता 04 के पूर्वज रामाकिशन, रामकुमार, रामगोपाल अर्सा करीब 60 वर्ष से पर्वू गा[illegible] उसके बाद वे कभी ग्राम दुधवाखारा या वादग्रस्त भूमि वाके सिरसली तहसी[illegible] चूरू चूरू पर नहीं आये। इसलिए रामाकिशन, रामकुमार व रामगोपा[illegible]संबंध सरकार नहीं रहा, वादग्रस्त भूमियों काउन्टर क्लेम[illegible] पिता द्वारका प्रसाद के प्रत्यक्ष कब्जे हक अधिकार में रही है। तथा वे ही वादग्रस्त भूमियों पर कदीम से काबिज चले

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested

आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के दिन अवधि 25.10.1955 से लगातार आज तक अनावेदक संख्या 01 व उसके पूर्वज का कब्जा वादग्रस्त भूमियों पर चला आ रहा है। आवेदक व अनावेदक संख्या 02 ता 04 उनके पूर्वज रामकुमार, रामगोपाल, रामकिशन अर्सा 60 वर्ष पूर्व वादग्रसत भूमियों का कब्जा, अधिवास, पडोस, स्वामित्व त्याग कर स्थायी रूपसे कलकता बस गये। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 62(4) कालातीत कब्जे से वंचित हो जाने के कारण उनके काल्पनिक हक अधिकार वर्षों पूर्व समाप्त हो चुके है। तथा अनावेदक संख्या 01 उनके भाई दलिप जोशी व प्रदीप कुमार जोशी को खातेदारी हक अधिकार परिपक्व रूप से प्राप्त हो चुके है। जिसकी जानकारी आवेदकगण व अनावेदक संख्या 02 ता लगायत 04 व उनके पूर्वजों को पिछले 60 वर्षों से रही है।

यह कि वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 113, 241 वाके सिरसली तहसील व जिला चूरू पर काउन्टर क्लेम कर्ता व उसके भाई दलीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी व उनके पिता द्वारका प्रसद पिछले 60 सालों से काबिज काश्त होकर बुवाई, जुताई एवं लाट—बांट करते रहे है। वाग्रस्त भूमियों दुधवाचाारा रेल्वे स्टेशन जाने वाली रोड़ के समीप होने से आवेदकगण के मन में बेईमानी आ गई है। तथा भूमियों के कीमतें बढ जाने से वे लोग वादग्रस्त भूमियों को गलत खातेदारी की आड़ में भूमाफिया गिरोह के लोगों को बेचने की कुचेष्टा के तहत दिनांक 01.08.2009 को आवेदकगण के मुख्तियार नारायण प्रसाद जोशी अपने साथ चार—पांच अजनबी व्यक्तियों को लाकर जमीन की सौदे बाजी करने लगा। अनावेदक काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा आपति करने पर कहा कि जमीन सेठजी की है और मुझे बेचने का पावर दिया है। इसलिए जमीन बेचुंगा। इस पर काउन्टर क्लेमकर्ता ने कहा कि खाता कब्जा हमारा है, जम जमीन नहीं बेचना चाहते और न ही बेचने देगे। इस पर नारायण प्रसद ने कहा कि खाता सेठजी के नाम हैं और इसे मैं बेचकर ही रहुंगा। हो हल्ला सुनकर दीगर पड़ौसियों के आने जाने के कारण आवेदकगण का मुख्तियार व अजनबी क्रेतागण जमीन पर जबरन कब्जा करने की धमकी देकर चले गये। अगर आवेदकगण अपने कुद्देश्य में सफल हो जायेंगे तो काउन्टर क्लेमकर्ता व उनके भाईयों को इतनी असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी किया जाना भविष्य में किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। इसलिए आवेगण को जरिये काउन्ट क्लेम कर्ता अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाये किवे अनावेदक संख्या 01 व उसके भाईयों के वादग्रस्त भूमियां के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, बेदखन नहीं करे एवं वादग्रस्त भूमियों को विक्रय व रहनदान एवं हस्तांतरित व प्रभारित करने से तोदौरान दावा बाज रहे तथा वादग्रस्त भूमियें के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यह कि प्रकटतः केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणी क्षति का बिन्दु अनावेदक संख्या 01 के पक्ष में है।

यह कि आवेदन काउन्टर क्लेम निर्धारित शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः सेवामें जवाब आवेदन मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदगण का अवेदन निरस्त फरमाया जाकर आवेदगण का आवेदन निरस्त फरमाया जाकर आवेदकण को तादौराने दावा जरिये काउन्टर क्लेम प्रतिबंधित फरमाया जावे किवे अपने प्रतिनिधि एजेन्टर नोकर मुतिख्यार आव व खास व जायज वारिशान को जरिये काउन्टर क्लेम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे काउन्टर क्लेमकर्तागण को वादग्रसत कृषि भूमि खसरा संख्या 113 रकबा 04 बीघा व खसरा नम्बर 241 रकबा 19 बीघा 06 बिश्वा कुल रकबा 23 बीघा 06 बिश्वा पुख्ता राजस्व ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे बेदखल नहीं करे व विवादित कृषि भूमियां को विक्रय रहन व दान आदि के माध्यम से हस्तान्तरित करने प्रभारित करने कच्चा पक्का निर्माण करने पेड़ पौधे कोटने भूमियों को अकृषि स्वरूप में परिवर्तित करने से बाज रहे तथा विवादित भूमियों के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत [illegible] पर जवाब बंद किया जाकर बहस सुनी गई।

आज प्रार्थीगण द्वारा दायर आवेदन अन्तर्गत धारा [illegible] काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउन्टर क्लेम पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, प्रकरण के उपलब्ध दस्तावेज, रिकॉर्ड, कथन एवं प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 113 रकबा 04 बीघा तथा खसरा नंबर 241 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, कुल 23 बीघा 06 बिस्वा, राजस्व ग्राम सिरसली, तहसील व जिला चूरू प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण का दावा है कि वे 1/3 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार हैं तथा अप्रार्थी 1 उनके हिस्से पर जबरन कब्जे की धमकी दे रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 का काउंटर क्लेम यह है कि 1955 से अब तक भूमि पर उनका ही कब्जा रहा है तथा अन्य सहखातेदार (प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2ता 4) 60 वर्ष पूर्व गांव छोड़ चुके हैं और इस प्रकार कथित रूप से धारा 62(4) के तहत अधिकार समाप्त हो गए। दोनों पक्ष एक–दूसरे पर भूमि पर हस्तक्षेप, कब्जा बदलने और विक्रय/रहन की कोशिश करने के आरोप लगा रहे हैं। प्रकरण अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि से संबंधित है जिसमें यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा दोनों पक्षों में से किसी को भी अपूरणीय क्षति हो सकती है। भूमि संयुक्त खातेदारी की है और दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से व कब्जे का दावा रखते हैं। अतः प्रथम दृष्टया विवाद वास्तविक एवं विचारणीय है। भूमि की अविभाजित स्थिति, सड़क के समीप होने तथा दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे पर कब्जा बदलने या विक्रय के आरोपों को देखते हुए सुविधा का संतुलन यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा कब्जा बदला गया, विक्रय किया गया या निर्माण आदि किया गया तो नुकसान की भरपाई बाद में संभव नहीं होगी। अतः अपूरणीय क्षति की संभावना स्पष्ट है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश है कि

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि रोही ग्राम सिरसली के खेत खसरा नम्बर 113, 241 के मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति ता फैसला दावा बनाये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested